

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

आ दे श

सं० 2/क्षे० स्था० वि-20-28/96- 1486 पटना दिनांक- 29/6/2013

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रियों कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित चतुर्थवर्गीय कर्मियों को उनके अभ्यावेदन के आलोक में स्तम्भ-4 के सामने अंकित कार्यालयों एवं विद्यालयों में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान का नाम	नव पदस्थापित स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री जय मंगल रजक, रसोईया	अनु० जाति आवासीय विद्यालय, पोखरेश, मुजफ्फरपुर।	रा० अम्बे० आवासीय विद्यालय, हाजीपुर।
2	श्रीमती छाठो देवी, अनुसेवक	जिला कल्याण कार्यालय, भोजपुर, आरा।	जिला कल्याण कार्यालय, पटना।
3	श्रीमती ललित देवी, रसोईया	अनु० जाति कल्याण छात्रावास, मुजफ्फरपुर।	जिला कल्याण कार्यालय, पटना के अन्तर्गत।
4	श्री दिलीप कुमार दास, अनुसेवक	जिला कल्याण कार्यालय, सुपौल	जिला कल्याण कार्यालय, बांका।
5	श्री गोपाल पासवान, अनुसेवक	रा० अम्बे० आ० विद्यालय, रोसड़ा, समस्तीपुर।	आ० उ० वि०, दरभंगा
6	श्री शिवपुजन पासवान रात्रिप्रहरी	बालिका उच्च वि०, सासाराम, रोहतास।	आ० उ० वि०, कुदरा, कैमूर।
7	श्री दिलीप कुमार, अनुसेवक	जिला कल्याण कार्यालय, भोजपुर।	जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर।
8	श्री चन्द्रिका प्रसाद, अनुसेवक	जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर।	उप निदेशक कल्याण कार्यालय, पटना।
9	श्री अशोक कुमार राम, अनुसेवक	आवासीय उच्च विद्यालय, सोली, रोहतास।	रा० अम्बे० आ० बालिका उ० वि०, सासाराम।
10	श्री आलोक कुमार सक्सेशना, अनुसेवक	रा० अम्बे० आ० उ० वि०, नालंदा	रा० अम्बे० बालिका उ० वि०, सासाराम।
11	श्री गोविन्द साह, अनुसेवक	अनु०जाति आ० बालिका उच्च० वि० रोहतास।	रा० अम्बे० आ० वि०, आरा।
12	श्री हरीनन्दन चौधरी, अनुसेवक	अनु०जाति आ० बालक उच्च० वि० पिपलावा, पटना।	रा० अम्बे० बालक आ० वि०, सुगांव, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

2- अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित चतुर्थवर्गीय कर्मियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

ज्ञापांक- सं० 2/क्षे० स्था० वि-20-28/96- 1486

पटना, दिनांक- 29/6/2013

प्रतिलिपि :-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चतुर्थवर्गीय कर्मियों/स्थानांतरित चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विरमित करदें।

निदेशक।